

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 27-10-2022 को वादी सुधीर कुमार पटेल पुत्र वेदपाल निवासी मो0 लोचीनगला के मकान में घुसकर वादी को जान से मारने की नियत से अवैध असलाह से फायर करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 524/2022 धारा 307/452/323/506 भादवि बनाम सतीश पटेल पुत्र स्व0 नत्थूलाल 2- कुनाल पटेल 3- शिवम पटेल पुत्रगण सतीश पटेल निवासी मो0 लोचीनगला थाना कोतवाली जनपद बदायूँ पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग में अभियुक्त सतीश पटेल उपरोक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

उक्त घटना में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डा0 ओ0 पी0 सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 13-11-2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त शिवम पटेल पुत्र सतीश पटेल निवासी गली नं0 3 लोचीनगला थाना कोतवाली जनपद बदायूँ को मय एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 546/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया गया ।

अभियुक्त शिवम का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 546/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 2- मु0अ0सं0 524/22 धारा 307/452/323/506 भादवि
- 3- मु0अ0सं0 461/21 धारा 323/307 भादवि
- 4- मु0अ0सं0 449/21 धारा 324/504/506 भादवि
- 5- मु0अ0सं0 383/21 धारा 323/504/506 भादवि
- 6- मु0अ0सं0 100/22धारा 336/427 भादवि
- 7- मु0अ0सं0 483/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।